२११५२८

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक 4828/2–6, दिनांक, बहराइच, मार्च, 28/2018.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
रा0मा0ख0, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

विषयः– **बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भ :– प्रमुख सचिव (वन) उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2, लखनऊ का पत्रांक–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018 दिनांक 21–03–2018 व आपका पत्रांक–3049/NH-28C/18 दिनांक–23–03–2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित उत्तर प्रदेश शासन के पत्र द्वारा बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान हुई है। उत्तर प्रदेश शासन के सन्दर्भित पत्र में दिये गये शर्तों प्रतिबन्धों का परिपालन करते हुए परिपूर्ण एवं सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में **"Compensatory Afforestation & NPV (Net Present Value)** की धनराशि **Ad-hoc CAMPA** में आनलाइन ई–पोर्टल के द्वारा ई–चालान के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार जमा कराना सुनिश्चित करें तथा ई–चालान और ट्रान्जेक्शन की स्लिप इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Ad-hoc CAMPA के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है–

(अ)	**एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य)**		
	0.7225 हे0 X 6.26 लाख	–	**4,52,285.00**
(ब)	**दो गुने अवनत वन भूमि हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण (10 वर्षों तक रखरखाव) की धनराशि**	–	**3,77,340.00**
		योग	**8,29,625.00**

(रुपया आठ लाख उन्तीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र)

क्रम संख्या (अ) तथा (ब) की धनराशि पृथक–पृथक ई–चालान के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग,बहराइच।

पृ0सं0 4828/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

(आर0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग,बहराइच।